प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

हत्याभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांक: 04.03.2023

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 04.03.23 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी है। थाना महोली से सम्बन्धित मु0अ0सं0 372/15 धारा 302 भादवि बनाम रामखेलावन पुत्र बाबूराम निवासी खेरवा मजरा बसवै थाना महोली जनपद सीतापुर में थाना महोली पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 04.03.23 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-02 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध हत्याभियुक्त रामखेलावन उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भा.द.वि में आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....